

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन न. 07432-230403, फैक्स न. -230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 1495

दिनांक: 16.03.2018

:- आदेश :-

पुलिस अधीक्षक झालावाड़ ने पत्र सं० सीबी/विधि/झाला /17/6447-48 दिनांक 27.02.18 से पुलिस थाना जावर के अभियोग सं० 03/18 धारा 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू उर्फ इमरान अली पुत्र रमजान जाति मुसलमान उम्र 24 साल निवासी नई बस्ती अकलेरा थाना अकलेरा जिला झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.2018 को श्री रामस्वरूप मीणा थानाधिकारी मय जाप्ता रवाना होकर वास्ते नाकाबंदी चौकीग गुण्डा बदमाशान ईलाका गश्त हेतु रवाना होकर सौरती तिराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी कि जयें मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति सोनू नाम का जिसके पास देशी कटटा है, इस इत्तला पर मुताबिक हुलिया के व्यक्ति को राउण्ड अप कर नाम पता पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम सोनू उर्फ इमरान अली पुत्र रमजान जाति मुसलमान उम्र 24 साल निवासी नई बस्ती अकलेरा थाना अकलेरा जिला झालावाड़ बताया/ जिसकी तलाशी लिये जाने पर पहनी हुई पेंट की कमर में बाये तरफ देशी कटटा मिला। जिसका अनुज्ञापत्र उसके पास नहीं पाया गया। मौके पर जप्ती कार्यवाही कर वापसी थाने पर प्रकरण सं. 03/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एवं गवाहान के कथन लेखबद्ध किये। जप्तशुदा देशी कटटा का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड़ से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो उक्त देशी कटटा 315 बोर लोहे का बना हुआ, जिस पर कोई नंबर व मार्का अंकित नहीं होना, मौजूदा समय में इसके सभी पार्टस सही कार्यरत होना तथा उक्त देशी कटटा फायर करने योग्य एवं फायर आर्म्स की जद में आना बताया गया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नहीं पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते हैं।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री घनश्याम एएसआई थाना जावर व आर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटे को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एवं अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त सोनू उर्फ इमरान अली पुत्र रमजान जाति मुसलमान उम्र 24 साल निवासी नई बस्ती अकलेरा थाना अकलेरा जिला झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

